अतिमहत्वपूर्ण

अतिआवश्यक

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग,
जल भवन बाणगंगा भोपाल

क्रमांक 1978/प्र.अ./विधि/लो.स्वा.यां.वि./2024 भोपाल, दिनांक 29/2/2024

प्रति,

1. मुख्य अभियंता,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   परिक्षेत्र भोपाल/(वि./यां.) भोपाल/
   इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर
2. समस्त अधीक्षण यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   मंडल.....
3. समस्त कार्यपालन यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   खंड.....

विषयः— विभाग में प्रचलित विभिन्न प्रकृति के न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभावी प्रतिरक्षण हेतु विभागीय वेबसाइट पर **"विधिक मार्गदर्शन"** शीर्षक के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध कराने विषयक।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वर्तमान में विभाग में विभिन्न प्रकृति के न्यायालयीन प्रकरण प्रचलन में हैं।

इन प्रकरणों के प्रतिरक्षण के संबंध में यह पाया गया है कि विभागीय स्तर पर इस बावत अधिक जानकारी नहीं होने के कारण एवं विभागीय प्रभारी अधिकारियों द्वारा प्रकरणों के संबंध में रूचि लेकर शासकीय अधिवक्ता को प्रतिरक्षण हेतु उपयुक्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के कारण, माननीय न्यायालयों के सामने शासन का सही पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा पाता है तथा अधिकांश मामलों में शासन के विपरीत निर्णय प्राप्त होते हैं।

इस समस्या के निराकरण हेतु इस कार्यालय की विधि शाखा द्वारा विभाग में प्रचलित विभिन्न प्रकृति के न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभावी प्रतिरक्षण करने हेतु, विभागीय वेबसाइट **https://mpphed.gov.in/law.html** पर कुल **22** शीर्षकों के अंतर्गत इस कार्यालय द्वारा जारी पत्रों एवं तैयार किये गये नोट्स के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई गई है। विभागीय वेबसाइट **https://mpphed.gov.in** पर भी यह जानकारी **"विधिक मार्गदर्शन"** शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके परिक्षेत्र/मंडल/खंड कार्यालयों के अधीनस्थ पूर्व से प्रचलित/निर्णित किन्तु आगे के न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में प्रतिरक्षण करने हेतु अथवा रिट याचिका/रिव्यू याचिका/रिट अपील/एस.एल.पी. दायर करते समय इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को शासकीय अधिवक्ता के संज्ञान में अनिवार्य रूप से

लाना सुनिश्चित करें तथा इस मटेरियल को आवश्यक रूप से ड्राफ्ट मटेरियल में शामिल करवायें। यदि शासकीय अधिवक्ता द्वारा इस सामग्री पर कोई आपत्ति प्रकट की जाती हैं तो दूरभाष पर इस कार्यालय की विधि शाखा को अवगत कराना भी सुनिश्चित करें ताकि उपलब्ध कराई गई सामग्री में वांछित सुधार कराया जा सके।

कृपया ध्यान दें कि उपरोक्तानुसार प्रतिरक्षण सामग्री उपलब्ध कराये जाने के उपरांत भी, यदि भविष्य में आपके स्तर से न्यायालयीन प्रकरणों के प्रतिरक्षण में कोताही बरतने की स्थिति सामने आती है तो आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

28.2.2024

प्रमुख अभियंता